

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  
7वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

परिपत्र

सं. आई.बी.बी.आई./एल.आई.क्यू./80/2025

09 जनवरी, 2025

सेवा में,

समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक

समस्त मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं

समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी

(रजिस्ट्रीकृत ईमेल पत्तों पर मेल द्वारा और आई.बी.बी.आई. की वैबसाइट पर)

महोदय/महोदया

**विषय: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन समापन और स्वैच्छिक समापन प्रक्रियाओं को मानिटर करने हेतु प्ररूप फाइल करने के लिए समय का विस्तारण ।**

परिसमापकों को, परिपत्र सं.आई.बी.बी.आई./एल.आई.क्यू./73/2024 और आई.बी.बी.आई./एल.आई.क्यू./74/2024, तारीख 28 जून, 2024 द्वारा समापन और स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया से संबंधित प्ररूप 30 सितम्बर, 2024 तक फाइल करने का निर्देश दिया गया था । परिपत्र सं. आई.बी.बी.आई./एल.आई.क्यू./79/2024, तारीख 2 दिसम्बर, 2024 द्वारा अंतिम तारीख को 31 दिसम्बर, 2024 तक बढ़ा दिया गया था ।

2. इस संबंध में, परिसमापकों और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों की ओर से प्ररूप प्रस्तुत करने में तकनीकी बातों और उनमें अंतर्वलित मुद्दों को उद्धृत करते हुए इस तारीख को बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

3. ऊपर उल्लिखित अभ्यावेदनों और परिसमापकों द्वारा अनुभूत की जा रही कठिनाइयों पर विचार करते हुए, समापन और स्वैच्छिक समापन प्ररूपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है । किसी स्पष्टीकरण की दशा में, [www.ibbi.gov.in](http://www.ibbi.gov.in) पर यथा-उपलब्ध बारंबार पूछे गए प्रश्न(एफ.ए.क्यू.) के प्रति निर्देश किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, फाइल किए जाने के संबंध में किन्हीं तकनीकी मुद्दों या कठिनाइयों को [support.form@ibbi.gov.in](mailto:support.form@ibbi.gov.in) पर रिपोर्ट किया जा सकेगा ।

4. इसके अलावा, यह पाया गया है कि कुछ दिवाला व्यावसायिक प्ररूपों में गलत जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे, सभी क्षेत्रों में जीरो मूल्य प्रविष्ट करना । इस संबंध में, यह निदेश दिया जाता है कि दिवाला व्यावसायिक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तुत की गई जानकारी सटीक, सत्य और संलग्न किए गए समर्थनकारी दस्तावेजों से संगत हो ।

5. यह परिपत्र दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 196 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है ।

भवदीय

हस्ता.

(राजेश तिवारी)

महाप्रबंधक